परिपत्र सं. 06/2020 -सीमा शुल्क

फा.सं.609/11/2020-डीबीके
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 2020

सेवा में
सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / प्रधानमहानिदेशक,
सभी मुख्य आयुक्त / महानिदेशक,
सीबीआईसी

विषय: प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों (एआईआर) का पुनरीक्षण।

महोदया/महोदय,

सरकार ने अधिसूचना सं.07/2020-सीमा शुल्क (गै. टै.) दिनांक 28.01.2020 के द्वारा प्रतिअदायगी दरों जिन्हें अखिल औद्योगिक दरों (एआईआर) से भी संदर्भित किया जाता है, में संसोधन किया है जोकि दिनांक 04.02.2020, से लागू होगी। इस अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और सावधानीपूर्वक इसके ब्यौरे को देखा जा सकता है।

2. शुल्क प्रतिअदायगी की संशोधित दरों से संबंधित प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-

(i) उपर्युक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में प्रत्येक टैरिफ मद को कॉलम (4) के अंतर्गत निर्दिष्ट एआईआर के साथ-साथ तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (5) के अंतर्गत शुल्क प्रतिअदायगी की राशि की ऊपरी सीमा को भी दर्शाया गया है। इन अखिल औद्योगिक दरों के लिए दावा करने के लिए उपसर्ग "ख" के साथ संगत टैरिफ मद को भी उल्लिखित किया जाना होगा।। जैसे कि टैरिफ आइटम (टीआई) 610901, के तहत सम्मिलित किए गए सामानों के निर्यात के लिए प्रतिअदायगी क्रम संख्या '610901बी' के रूप में घोषित किया जाना चाहिए;

(ii) इस अधिसूचना में संलग्न सारणी में, अनुसूची (परिधान एवं परिधान सहायक सामग्री) के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत आने वाले मदों, जो कि विशेष अग्रिम प्राधिकार योजना (विदेश व्यापार नीति 2015-20 का पैरा 4.04क) के अंतर्गत विनिर्मित हों, के निर्यात पर अधिसूचना सं. 45/2016-सीमाशुल्क, दिनांक 03.08.2016 के अनुसार न्यूनतम एआईआर लगायी गयी थी। इन न्यूनतम एआईआर का दावा करने के लिए, सामान्य टैरिफ आइटम को सामान्य प्रत्यय 'बी' के बजाय प्रत्यय 'डी' के साथ प्रत्ययित किया जाना चाहिए;

(iii) समुद्री उत्पादों और समुद्री भोजन (अध्याय 3, 15, 16, 23), रसायनों (अध्याय 29) तैयार और अस्तर चमड़े, चमड़े की वस्तुएँ और जूते (अध्याय 41, 42 और 64), सूती और एमएमएफ वस्त्र (अध्याय 50 से 60), कालीन (अध्याय 57), मेड-अप (अध्याय 63) और कांच और कांच के बर्तन (अध्याय 70) से संबंधित कुछ वस्तुओं अन्य वस्तुओं के साथ के लिए शुल्क प्रतिअदायगी के एआईआर में वृद्धि की गई है। एआईआर में वृद्धि विभिन्न कारकों के कारण होती है जैसे कि आयातों के सीमा शुल्क में परिवर्तन, आयातित आदानों की कीमत (सीआईएफ) और निर्यात वस्तुओं का एफओबी मूल्य, आदानों की आयात तीव्रता आदि;

(iv) बीसीडी दर में कमी, आयातित इनपुट की कीमत (सीआईएफ) में बदलाव और निर्यात वस्तुओं के एफओबी मूल्य, आदानों की आयात तीव्रता में परिवर्तन आदि जैसे कारकों के कारण एआईआर को साइकिल

ट्यूब (अध्याय 40), ऊन के धागे / कपड़े / रेडीमेड वस्त्र (अध्याय 51 और 61-62) और रेशम के धागे / कपड़े / रेडीमेड वस्त्र (अध्याय 50 और 61-62), को अन्य मदों के साथ युक्ति संगत बनाया गया है।;

(v) 31 नये टैरिफ मदों को इस अनुसूची में शामिल किया गया है जो कि रसायन (18 मद), कपड़े और बने बनाए परिधान (6 मद), चमड़े की वस्तुएं और जूते चप्पल (6 मद) और ग्लास हैंडीक्राफ्ट/आर्टवेयर (1 मद) से संबंधित हैं । अध्याय 42 के 3 टैरिफ मदों टीआई 42020102, 42020204 और 42020302 के विवरण को बेहतर उत्पाद विभेद के लिए संशोधित किया गया है;

(vi) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के तहत काम करने वाली इकाइयों द्वारा निर्मित निर्यात उत्पादों के मामले में अध्याय 64 के तहत 10 टैरिफ आइटम 0.4 प्रतिशत की एआईआर निर्दिष्ट की गयी थी, को निरसित कर दिया गया है, क्योंकि अधिसूचना सं. 07/2020 सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 28.1.2020 में दिये गये नोट्स और शर्तों के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर कुछ भी प्रतिअदायगी की अनुमती नहीं है।

(vii) इस अनुसूची में, जहाँ भी जरूरी समझा गया है शुल्क प्रतिअदायगी की राशि पर यथोचित "कैप" लगाया गया है, जिससे कि शुल्क प्रतिअदायगी की ऊपरी सीमा को निर्धारित किया जा सके। टीआई 8701 (ट्रैक्टर्स), टीआई 8703 (मोटर कार और अन्य मोटर वाहन) और टीआई 8708 (शीर्ष 8701 से 8705 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहनों के पार्ट्स और सहायक सामग्री) के अंतर्गत आने वाले मदों पर कैप्स यानी ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है।

3. आयुक्तों से आशा है कि वह किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए पूर्ण पूरी सतर्कता से काम करेंगे। संवेदनशील पैरामीटर वाले शिपिंग बिल्स को निर्यात के समय बहुत ही सावधानीपूर्वक देखा जाना चाहिए। इसकी लगातार निगरानी किये जाने की भी जरूरत है जिससे कि मदों के ब्यौरों में की गयी घोषणा और शिपिंग बिल में दर्शाये गये प्रतिअदायगी की ब्यौरे के बीच की मेल न हो तो इस स्थिति में अतिरिक्त प्रतिअदायगी का भुगतान न होने पाये।

4. उन वस्तुओं के बारे में, जिनपर से कैप्स को हटा दिया गया है या वर्तमान कैप्स की तुलना में वृद्धि कर दी गयी है, निर्यात के मूल्यांकन या बाहर जाने वाली प्रतिअदायगी के रुख में होने वाले परिवर्तन पर भी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नजदीकी से निगरानी रखी जानी चाहिए। यदि इस पैटर्न में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्काल बोर्ड की नोटिस में लाया जाना चाहिए। आयुक्त उचित आंकड़ों के साथ, उन विशिष्ट उत्पादों का विवरण भी बता सकते हैं, जहां प्रतिअदायगी कैप की समीक्षा या उन्हें लगाने की आवश्यकता है।

5. व्यापारियों और अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त सार्वजनिक सूचना और स्थायी आदेश जारी किए जाने चाहिए। किसी भी प्रकार की विसंगति, त्रुटि या कठिनाई, जो सामने आ रही हो, के बारे में बोर्ड को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए।

आपका आभारी,

(गोपाल कृष्ण झा)
निदेशक (प्रतिअदायगी)
दूरभाष: 23360581